न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 04/2013

अपीलांट		**रेस्पोडेंटस**
अचलाराम पुत्र पेमाराम जरिये वाद मित्र जालूराम पुत्र पेमाराम जाति दजी निवासी कोलू तहसील बायतु जिला बाड़मेर	**बनाम**	1 .तहसीलदार बायतु 2 .मलवन्तसिंह पुत्र भवानीसिंह 3. दीपसिंह पुत्र जोरसिंह के कायम मुकाम 3/1 जयसिंह पुत्र दीपसिंह, 3/2 बाबूसिंह पुत्र दीपसिंह, 3/3 मुकनसिंह पुत्र दीपसिंह, 3/4 पदमसिंह पुत्र दीपसिंह, 3/5 गंगाकंवर बेवा दीपसिंह जाति राजपूत निवासी कोलू 4. मुस्मात सजनी पत्नी पेमाराम 5 .भवंराराम पुत्र पेमाराम जाति दर्जी निवासी कोलू तहसील बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 28.12.2012 जो तहसीलदार बायतु द्वारा मौजा कोलू के नामान्तरकरण संख्या 776 पर पारित किया गया।

उपस्थित– 1. अपीलांट के अधिवक्ता अनुपस्थित।
2. रेस्पोंडेंट सं. 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 02 से 5 एक तरफा।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय **दिनांक 22.02.2017**

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा कोलु के खेत खसरा नंबर 31 रकबा 60.01 बीघा भूमि मौजूदा राजस्व रेकर्ड में जालूराम, भंवराराम, अचलाराम मु. सजनी एवं दीपसिंह के नाम दर्ज है। इस आराजी का सह–कृषक

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अचलाराम जिसकी ओर से अपील पेश की गई है, विकृतचित है। अपीलांट अचलाराम ने ग्राम कोलू के खसरा 31 रकबा 60.01 बीघा में अपना हिस्सा 280/1201 अर्थात 14 बीघा का बेचान रेस्पोटेंट संख्या 02 मलवन्तसिंह के पक्ष में दिनांक 26.9.2012 को किया गया। इस बेचान के आधार पर पटवारी हल्का कोलू ने नामान्तरकरण संख्या 776 भरकर तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किया। तहसीलदार बायतु ने बाद जांच अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2012 को स्वीकृत किया गया। इस आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने के बावजूद हाजिर नहीं आये फलस्वरूप रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

3. वक्त बहस अपीलांट के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। न्यायालय समय समाप्ति तक अलग–अलग समय मे तीन बार आवाजे लगायी गई मगर अपीलांट व इनके अधिवक्ता हाजिर नहीं आये फलस्वरूप अपीलांट के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया जाता है। पत्रावली दिसम्बर 2015 से बहस में होने एवं अपीलांट के अधिवक्ता को बहस हेतु कई अवसर देने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए अतः बहस एक तरफा सुनी गई। रेस्पोडेंट सख्या 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक का तर्क हैं कि तहसीलदार बायतु द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर नामान्तरकरण भरा गया है, जो विधिवत एवं नियमानुसार सही है।

4. रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक को सुना गया। अपीलांधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बायतु द्वारा मौजा कोलू के नामान्तरकरण संख्या 776 पर पारित आदेश दिनांक 28.12.2012 के विरूद्व धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की है। अपीलाधीन पत्रावली के साथ उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से मौजा कोलू के खसरा नंबर 31 के खातेदार अपीलांट अचलाराम द्वारा अपना हिस्सा 280/1201 का पंजीयन बेचान रेस्पोडेंट संख्या 02 के पक्ष में किया गया। इस पंजीकृत बेचान दस्तावेज के आधार

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पर तहसीलदार बायतु द्वारा नामान्तरकण संख्या 776 दिनांक 28.12.2012 पारित किया गया है, इसमें कोई वैधानिक त्रृटि होना प्रतीत नहीं होता है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती हैं एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2012 यथावत रखा जाता है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 22.02.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)